(सत्यप्रतिलिपि)

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी

(आदेश दिनांक 12/11/2020)

ज.या.क. 266/2020

रामनारायण साहू पिता मोतीलाल साहू,
उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम सांकरा,
थाना अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.)................आवेदक/अभियुक्त

–विरूद्ध–

छ.ग.शासन
द्वारा थाना सिटीकोतवाली,
जिला–धमतरी छ.ग. ....अनावेदक

12-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 62/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार एवं पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण जमानत प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री नवीन श्रीवास, अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क एवं केस डायरी हेतु नियत है।

संबंधित थाना सिटीकोतवाली धमतरी से केस डायरी प्राप्त।

प्रार्थी की ओर से लिखित आपत्ति पेश, जिसकी प्रतिलिपि आरोपी के अधिवक्ता को प्रदान किया गया।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उनके विरूद्ध थाना सिटीकोतवाली के द्वारा धारा 420/34, 201 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। वह जमानत पर

रिहा होना चाहता है तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। उसके द्वारा पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

शासन की ओर श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है। जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

प्रार्थी बंशी लाल साहू की ओर से आपत्ति पेश कर आरोपीगण द्वारा कूटरचित ऋण पुस्तिका तैयार कर विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2008 को कपटपूर्वक भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर छल किया गया है।

आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में आरोपी की पत्नी श्रीमती उर्वशी साहू का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है।

थाना सिटीकोतवाली धमतरी की केस डायरी के अनुसार प्रार्थी बंशी लाल साहू की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र सिटीकोतवाली धमतरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क. 25/2020 अंतर्गत धारा 420/34, 201 भा.दं.सं. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। आरोपी पर धारा 420/34, 201 भा.दं.सं. के तहत् आरोप है कि आरोपीगण द्वारा कूटरचित ऋण पुस्तिका तैयार कर विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2008 को कपटपूर्वक भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर छल कारित किया गया है तथा साक्ष्य का विलोपित किया गया। आरोपित अपराध मृत्यु दंड एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विवेचना अपूर्ण है, विवेचना में समय लगने की संभावना है। आरोपी दिनांक 09.11.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जिला जेल धमतरी

में निरूद्ध है। आरोपी ग्राम सांकरा, जिला धमतरी का स्थायी निवासी है, जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने पर अन्यत्र पलायन होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण का प्रकोप है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से पेश आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से 25,000/– रूपये का सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी धमतरी की संतुष्टि योग्य एवं गवाहों एवं विवेचना को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर पेश किये जाने जाने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी थाना सिटीकोतवाली, जिला धमतरी को वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>**प्रतिलिपि :–**</u>

1. आदेश की प्रति सहित अभिलेख, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी जिला धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. आदेश की प्रति सहित थाना सिटीकोतवाली, जिला धमतरी की केस डायरी वापस किया जावे।
3. लोक अभियोजक, धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी(छ.ग.)